(17)

निग० 5719/2018/रीवा/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

प्रकरण-क्र./ ....

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY
COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5
COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

अखण्ड शुक्ला पिता भगवानदास शुक्ला निवासी त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

..................आवेदक/निगराकार

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

......................अनावेदक/गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के द्वारा प्रकरण क/1743/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 18/07/2018 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य-

निगरानीशुदा आदेश का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए निगराकार विनम्र निवेदन करता है कि मातहत अदालत तहसीलदार के अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा निगराकार के विरूद्ध इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि मौजा त्योंथर की भूमि खसरा नं. 339 के अंश भाग 0.012 हे. पर मकान बना कर निगराकार का कब्जा है। चूंकि भूमि नं. 339 मध्य प्रदेश शासन की भूमि है अतः उस पर निगराकार का कब्जा अतिक्रमण होने से निगराकार को बेदखल किया जाय, प्रतिवेदन के अनुरूप निगराकार को नोटिस जारी की गई निगराकार अपने अधिवक्ता सहित मातहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर नोटिस का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए विनम्रता पूर्वक लेख किया कि जिस भूमि पर निगराकार एवं उसके परिवारजन का मकान बना हुआ है वह आवादी का रूप धारण कर चुकी है तथा निगराकार के बाबा स्व. राजनारायण

(17)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक निग0–5719/2018/रीवा/भू–रा0 जिला–रीवा

अखण्ड शुक्ला/ म0प्र0 शासन

(1)	(2)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री जितेन्द्र अवस्थि अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1743/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य